न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव खेदर आर ए एस
प्रार्थना पत्र संख्या :– 198/2006 पुनःदर्ज 120/2024

उनवान

1. मदनलाल पुत्र सुरजा जाति कुम्हार निवासी जाजैखुर्द उर्फ बिशनुपरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रार्थी

बनाम

1 लूणाराम पुत्र बल्लूराम जाति जाट निवासी शाहपुरा
2 गुलाबचन्द पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी शाहपुरा
3 रामेश्वर पुत्र गुलाबचन्द जाति जाट निवासी शाहपुरा
4 श्रीमती चेतना पत्नि रामकिशन जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ढाणी पोखरवाली तन भानपुर तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर
6 श्रीमती सुनिता पत्नि कमलेश जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ढाणी पोखरवाली तन भानपुर तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर
7 श्रीमती गीता देवी पत्नि राधेश्याम जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ढाणी पोखरवाली तन भानपुर तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट

उपस्थित 1 श्री राकेश मोहन शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी
2 श्री गिरधारीलाल यादव अधिवक्ता अप्रार्थी सं 4, 5 ,6

आदेश दिनांक 27.06.2025

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है प्रार्थी ने अप्रार्थीगण विरूद्व यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्व एक वादपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी को सफलतार मिलने की पूरी पूरी सम्भावना है। हाल आराजी खसरा नम्बर 1484रकबा 0.85 है0,1485 रकबा 0.02 है0, 1486 रकबा 0.06 है0, 1492 रकबा 0.14 है0 कुल किता 4 रकबा 1.07 हैक्टर वाकै ग्राम जाजैखुर्द उर्फ बिशनपुरा तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है, जिसकी खातेदारी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर में ख0नं0 1484 व 1485 साबिक ख0नं0 947 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा से बने है तथा ख0नं0 1486 तथा 1492 क्रमशः साबिक ख0नं0 940 व 953 से बने है, जिसकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम अंकित है परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलीती से मदन पुत्र सुरजा के बजाय मदन सुरजा का अंकन कर रखा है। हॉल आराजी खसरा नम्बर 1493 रकबा 0.22 है0, 1494 रकबा 0.44 है0, 1495 रकबा 0.24 है0 कुल किता 3 रकबा 0.90 है0 वाकै ग्राम जाजैखुर्द उर्फ बिशनपुरा तहसील शाहपुरा स्थित है जिसकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में गैर प्रार्थीगण सं0 2 व 3 के नाम दर्ज है उक्त खसरा नम्बर मे से हॉल ख0नं0 1493 साबिक ख0नं0 952 से तथा खसरा नम्बर 1494 व 1495 साबिक ख0नं0 948 से मिलकर बने है। प्रार्थी उक्त आराजी पर अपने बुजुर्गो के समय से ही काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है, तथा गैर प्रार्थीगण का या अन्य किसी का उक्त आराजीयात से किसी प्रकार कोई सम्बन्ध या वास्ता नहीं है किन्तु वरवक्त साबिक सेटलमेन्ट कर्मचारियों की गलती के कारण ख0नं0 1493, 1494, 1495 की खातेदारी गैर प्रार्थी सं0 1 के पूर्वज गंगल्या पुत्र रामू के नाम अंकित रक दी गई जो कि उसके पश्चात गैर प्रार्थी सं0 1 के नाम अंकित हो गई है। वरवक्त इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी की खातेदारी का अंकन मदन पुत्र. सुरजा जाति कुम्हार सा0 शाहपुरा के स्थान पर मदन सुरजा जाति कुम्हार सा0 शाहपुरा कर दिया गया है, जो काबिले दुरूस्ती है। वरवक्त सेटलमेन्ट साबिक ख0नं0 947 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा के जो नये

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

ख0नं0 1484, 1485 बनाये गये है वह वास्तविक रकबे से कम बनाये गये है अर्थात 3बीघा 12 बिस्वा के मैट्रिक प्रणाली से 0.90 है0 होना चाहिए था किन्तु इसका रकबा 0.87 है0 ही निर्धारित किया है इस प्रकार 0.03 है0 कम कर दिया गया है जो काबिले दुरूस्त है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में जाहिर किया कि गैरा प्रार्थी सं0 1 ने उक्त आराजी में से 1495 का विकय पत्र गैर प्रार्थी सं0 2 को तथा 1493 व 1494 का बैचान गैर प्रार्थी सं0 3 को जरिये विकय पत्र से कर दिया है जो प्रार्थी के कब्जे काश्त व अधिकारों के विरूद्व होने के कारण प्रार्थी के विरूद्व शुरू से ही शुन्य तथा निष्प्रभावी है। दिनासंक 15.11.06 को गैर प्रार्थी सं0 1 से 3 प्रार्थी के कब्जे की भूमि पर जबरन घुस आये तथा गाली ग्लोच करने लगे तथा जबरन बैदखन करने व दीगर व्यक्तियों को बेचान करने की धमकी देने लग गये । इस प्रकार प्रार्थी को अकथनीय हानी होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी धन राशि से किया जाना सम्भव नहीं होगा । प्रार्थी उक्त आराजी पर काबिज रहकर कास्त करने से तथा गैर प्रार्थी सं0 1 से 3 के ज्ञान में अर्सा 13 वर्ष से पहले से एडवर्स पजेशन चले आने के कारण भी प्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। जिसकी घोषणा करवाने का प्रार्थी अधिकारी है। प्रार्थी के ख0नं 1494 में कच्चे घर बने हुये है तथा 10.1.94 को इंडियन ऑयल कॉरपवोशन द्वारा काण्डला भटिण्डा पाईप लाईन परियोजना के सम्बन्ध में हॉल ख0नं0 1494 व अन्य आराजीयात का कब्जेदार मानते हुए एक नोटिस दिया गया है जिससे भी प्रार्थी का ख0नं0 1493 से 1495 पर कब्जा बखूबी साबित होता है। अन्त में प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया में बखूबी साबित है एवं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में होने से अप्रार्थीगण को मूल वाद ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाने का निवेदन किया कि प्रार्थी के कब्जे कास्त व उपयोग व उपभोग में कोई बाधा कारित नहीं करे । प्रकरण पेश होने पर रिर्पोट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थीगण सं0 4 से 6 की ओर से श्री गिरधारीलाल यादव ने मूल वादपत्र में वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया ।

प्रकरण में वकील उभय पक्ष की बहस सुनकर दिनांक 1.4.2021 को उभय पक्ष को मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 13.12.2006 को स्थायी किया गया । उक्त आदेश दिनांक 13.12.2006 के विरूद्व माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के अपील किये जाने पर माननीय राजस्व अपील अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 19.7.2023 के द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 1.4.221 को निरस्त कर प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर उभयपक्षो की समतुचित सुनवाई कर अस्थाई निषेधाज्ञा के निस्तारण के लिये निर्धारित तीनों विधिक बिन्दुओ क्रमशः प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति आदि का पूर्ण विवेचन/विश्लेषण करते हुये पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करने के निर्देश दिये गये ।

प्रकरण में माननीय राजस्व अपील अधिकारी के आदेश दिनांक 1.4.21 की पालना में उभय पक्षो को समुचित सुनवाई का अवसर एवं दस्तावेज पेश करने के अवसर प्रदान करने पर अप्रार्थी अधिवक्ता सं0 4 से 6 की ओर से विवादित भूमि की हॉल जमाबन्दी सम्वत् 2029 से 2032, 2033 से 2036, 2041, व 2048 से 2051 नामान्तकरण सं0 215 हॉल जमाबन्दी सम्वत् 2060 से 2063 मिलान क्षैत्रफल एवं खसरा गिरदावरी सम्वत् 2030 से 2033 की फोटो प्रति पेश की । प्रकरण बहस हेतु नीयत किया गया । प्रकरण में वकील उभय पक्ष की बहस सुर्नी गई । प्रार्थना पत्र , जवाब प्रार्थना पत्र एवं पेश दस्तावेजो का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया ।

प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय से मुंख्यतः तीन अनुतोष (क) हॉल आराजी खसरा नम्बर 1484, 1485, 1486 1492 कुल किता 4 रकबा 1.07 है0 वाके ग्राम जाजैखुर्द उर्फ बिशनपुरा तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर की खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज मदन सुरजा के स्थान पर मदन पुत्र सुरजा अंकित करने (ख) साबिक ख0नं0 947 रकबा 3बीघा 12 बिस्वा से बने हॉल ख0नं0 1484 रकबा 0.85है0 1485 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 रकबा 0.87 है0 साबिक रकबा से 0.03 है0 कम है जिसे दुरूस्त किया जावे। (ग) प्रार्थना पत्र के जिमन नं0

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज

3 में वर्णित हॉल आराजी खसरा नम्बर 12493, 1494 1495 कुल किता 3रकबा 0.90 है0 वाके ग्राम जाजैखुर्द उर्फ बिशनुपरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है।

प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी ने वाद एवं अपने प्रार्थना पत्र के जिमन नं0 2 में हॉल आराजी ख0नं0 1484, 1485, 1486 व 1492 किता 4 रकबा 1.07 है0 वाके ग्राम जाजैखुर्द उर्फ बिशनपुरा के खातेदारी राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में दर्ज मदन सुरजा के स्थान पर मदन पुत्र सुरजा अंकित करने का अनुतोष चाहा गया है। उक्त भूमि से अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध एवं स्वामित्व नहीं रहा है तथा अप्रार्थीगण के अधिवक्ता बहस में तर्क रहा है कि प्रार्थी ने दावा दायरी के पश्चात राजस्व अभिलेख जमबान्दी में मदन सुरजा के स्थान पर मदन पुत्र सुरजा करवा लिया है । प्रार्थना पत्र. के साथ पेश हॉल जमाबन्दी में वादग्रस्त भूमि हॉल ख0नं0 1484, 1485, 1486 एवं 1492 की खातेदारी मदन पुत्र सुरजा के नाम से है ऐसी स्थिति में प्रार्थी के द्वारा नाम के सम्बन्ध में न्यायालय से मांगा गया अनुतोष अवशेष नहीं है।

प्रार्थी ने अपने वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र के जिम्मा नं0 7 में उल्लेख किया है कि साबिक ख0नं0 947 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा के कायम नये खसरा नम्बर 1484 रकबा 0.85 है0 व 1485 रकबा 0.02 है0 बनाये गये है, जो साबिक रकबे से मैट्रिक प्रणाली से 0.90है0 होना चाहिए किन्तु उसका रकबा 0.87 है0 ही निर्धारत किया गया है वह 0.03 है0 रकबा कम किया गया जिसको दुरूस्त किया जाना है। इसके सम्बन्ध मे अप्रार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी की भूमि का रकबा कम नहीं किया गया बल्कि 0.03 है0 रकबा अधिक किया गया है साथ ही अप्रार्थीगण के अधिवक्ता का निवेदन रहा कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कही उल्लेख नहीं किया कि प्रार्थी की भूमि का रकबा 0.03 है0 कम करके अप्रार्थीगण की भूमि का रकबा बढा दिया गया हो एवं ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया गया है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि हॉल आराजी ख0नं0 1484 रकबा 0.85 है0, 1485 रकबा 0.02 है0 एवं 1486 रकबा 0.06 है0 किता 3 रकबा 0.93 है0 साबिक ख0नं0 947 से बनाये हुये हैं । प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वादपत्र में साबिक ख0नं0 947 से केवल दो खसरा नम्बर 1484 व 1485 ही बना होना अंकित किया तथा ख0नं0 1486 रकबा 0.06 है0 साबिक ख0पं0 940 से बना हुआ होना गलत अंकित किया है । अप्रार्थीगण द्वारा पेश मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1484, 1485 व 1486 साबिक ख0नं0 947 से बने हुए है, जो कि साबिक ख0नं0 947 रकबा 3बीघा 12 बिस्वा अर्थात 0.90 है0 से 0.03 है0 अधिक है । इस प्रकार प्रार्थी की भूमि का रकबा 0.03 है0 कम होना प्रथम दृष्टया साबित नहीं होता है।

न्यायालीय को अब प्रार्थी द्वारा अपने वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र में मांगे गये तीसरे अनुतोष आशय हॉल ख0नं0 1493, 1494, 1495 किता 3 रकबा 0.90 है0 वाके ग्राम जाजैखुर्द उर्फ बिशनपुरा पर प्रार्थी के कब्जे काश्त के सम्बन्ध में विचार किया जाना है। आराजी ख0नं0 1493 साबिक ख0नं0 952 एवं हॉल ख0नं0 1494 व 1495 साबिक ख0नं0 948 से बने हुए है। साबिक खसरा नम्बर 952 व 948 की साबिक जमाबन्दी सं0 2029से 2032 भूरा पुत्र गंगल्या कौम जाट के नाम से रही है। जमबान्दी सं0 2048 से 2051 के अनुसार वादग्रस्त भूमि 1493, 1494 व 1495 सहित ख0नं0 1220 की खातेदार भूरा पुत्र गंगल्या ने नामान्तकरण सं0 74 दिनांक 19.6.98 को अप्रार्थी सं0 1 लूणाराम को उक्त भूमि बेचान किये जाने पर उनके नाम खातेदारी दर्ज होने का अंकन अंकित है। अप्रार्थीगण द्वारा पेश नामान्तकरण संख्या 215 दिनांक 18.6.2003 के अनुसार हॉल आराजी ख0नं0 1493, 1494, 1495 व 1220 कुल किता 4 रकबा 1.23 है0 को रजिस्ट्रड विकय पत्र से खातेदार लूणाराम पुत्र बल्लूराम द्वारा ख0नं0 1220 व 1495 किता 2 रकबा 0.57 है0 अप्रार्थी सं0 2 गुलाबचन्द पुत्र दयाराम जाट को एवं ख0नं0 1493 व 1494 किता 2 रकबा 0.66 है0 अप्रार्थी सं0 3 रामेश्वर गुलाबचन्द जाति जाट को बेचान किये जाने पर केतागण अप्रार्थी सं0 2 व 3 के नाम खातेदारी दर्ज की गयी है। इस नामान्तकरण में हल्का पटवारी द्वारा मौके पर वादग्रस्त भूमि पर केतागण अर्थात अप्रार्थी सं0 2 व 3 द्वारा कब्जा प्राप्त करने की टिप्पणी अंकित कर रखी है। अप्रार्थी सं0 2 व 3 गुलाबचन्द व रामेश्वर ने वादग्रस्त भूमि ख0नं0 1494, 1495 व 1220 कुल किता 3 रकबा 1.01 है0 को जरिये रजिस्ट्रड विकय पत्र दिनांक 30.12.2006 को अप्रार्थी सं0 4 चेतना व अप्रार्थी सं5 सुनीता को बेचान करने व

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज

अप्रार्थी सं0 2 रामेश्वर ने ख0नं0 1493 रकबा 0.22 है0 का विक्रय अप्रार्थी सं0 4 चेतना को बेचान करने की विक्रय प्रति भी पेश की गयी है अर्थात दोनो विक्रय पत्र से अप्रार्थी सं0 2 व 3 द्वारा वादग्रस्त भूमि का कब्जा केतागण अप्रार्थी सं0 4, 5 व 6 को दिये जाने का स्पष्ट रूप से विक्रय पत्र में उल्लेख है । वकील प्रार्थी द्वारा पेश पत्र 519 दिनांक 10.1.1994 के सम्बन्ध में वकील अप्रार्थी का तर्क है कि वादगरस्त भूमि 1994 पर प्रार्थी के बुजुर्ग सूरज कुम्हार का किसी प्रकार कोई गृहनिर्माण द्वारा कोई अतिकमण नहीं रहा है । खसरा नं0 1494 कीसीमा से लगता हुआ प्रार्थी का ख0नं0 1486 है जिसमें अप्रार्थीगण ने अपने पशुओं के बाडे का निर्माण कर रखा था । सक्षम अधिकारी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने गलीती से प्रार्थी की भूमि ख0नं0 1486 के स्थान पर ख0नं0 1494 अंकित करते हुए सुरज कुम्हार को अतिकमण का नोटिस जारी किया गया था, वकील अप्रार्थी का न्यायालय से यह भी तर्क रहा कि यदि वास्तव में ख0नं0 1494 पर प्रार्थी के बुजुर्ग सुरज कुम्हार का कब्जा रहा होता तो उसका मुआवजा अप्रार्थी सं0 1 लूणाराम को नहीं मिलता । अप्रार्थीगण द्वारा पेश दस्तावेज भूमि मुआवजा नोटिस दिनांक 31.10.94 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ख0नं0 1220, 1493 से 1495 कुल किता 4 में अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि 1176/– रूपये अप्रार्थी सं0 1 को दिये जाने बावत नोटिस जारी हुआ है। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी पर उनका व बुजुर्गो का कभी कब्जा काश्त रहा हो ऐसा दस्तावेज ,खसरा गिरदावरी पेश नहीं किया है जिससे निश्चयात्मक रूप से प्रार्थी का कब्जा साबित होता हो बल्कि अप्रार्थीगण द्वारा पेश नामान्तकरण सं0 215 में पटवारी हल्का द्वारा की गयी कब्जे की रिपोर्ट, विक्रय पत्र, खसरा गिरदावरी आदि से वादग्रस्त भूमि ख0नं0 1493, 1494 व 1495 पर प्रथम दृष्टया अप्रार्थीगण का कब्जा साबित होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं है । उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के निस्तारण केलिये निर्धारत तीनों विधिक बिन्दुओ कमशः प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन , अकथनीय हानि के बिन्दुओ को प्रार्थी साबित करने में पूर्णरूप से असफल रहा है, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का खारिज किया जाता है । पत्रावली मूल वाद के हमफिता रहे ।

निर्णय आज दिनांक 26.6.2025 को सरै इजलास सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर)

(संजीव कुमार खेदर)
उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा
जिला-जयपुर
शाहपुरा (जयपुर) राज